रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, मंगलवार अक्तूबर 20, 1981/आश्विन 28, 1903
No. 472] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 20, 1981/ASVINA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1981

का० आ० 758 (अ)/18 कख/आई० डी० आर० ए०/81.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 708 (अ) /18 कक/आई० डी० आर० ए०/81 तारीख 19 सितम्बर, 1981 द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन मैसर्स उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, चौद्वार, जिला कटक, उड़ीसा का (जिसे इसमें इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण किया गया ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में यह समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती टैक्सटाइल उद्योग में उत्पादन की मात्रा में गिरावट को रोकने की दृष्टि से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उन से भिन्न जो बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं। जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोदभूत या उदभूत सभी बाध्यताएं और दायित्व 18 सितम्बर 1982 तक की अवधि के लिए निलंबित बने रहेंगे।

[फा० सं० 3/3/81-सी० यू० एस०)]

सी० के० मोदी, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1981

S.O. 758(E)./18FB/IDRA/81.—Whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 708(E)/18AA/IDRA/81, dated the 19th September, 1981, the management of Messrs Orissa Textile Mills Limited, Chowdwar, District Cuttack, Orissa (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been taken over under cluase (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of one year from the date of the publication of the said Order in the Official Gazette ;

And, whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking, it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely, the cotton textile industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which theh said industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking, and all obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period upto and inclusive of 18th September, 1982.

[F. No. 3/3/81-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981